

2-5-18

पत्रावली आण कॅम्प कोर्ट गारास में पेशा हुई। पत्रावली एवं फस्तावेजात का ब्याग पूर्वका आवलोकन किया गया। शपथ रिकार्ड लमा वन्दी सं० 2062-71 ग्राम गंगली गुजरात के ग्रामि सं. नं. 209, 210, 211, 212, 213, 216 किला - 6 कुम रजबा उ-77 है. के वादी गण एवं प्रतिवादी गण रिकार्ड स्वतंत्र रूप है। उक्त वादी गण ग्रामि सं. गुजरात स्वातंत्र्यी ग्रामि है तथा ग्रामि का विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। क वारा 53 के प्रावधानानुसार वादी गण एवं प्रतिवादी गण शपथ रिकार्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार विभाजन करवाने के अधिकारी है।

आदेश

वादी गण स्वीकार किया जाता है। प्राथमिक डिप्टी इस आशय की दी जाती है कि ग्राम गंगली गुजरात के ग्रामि सं. नं. 209, 210, 211, 212, 213, 216 किला - 6 कुम रजबा उ-77 है. का वादी गण एवं प्रतिवादी गण का शपथ रिकार्ड में दर्ज हिस्सा एवं कल्याणानुसार शस्ते का प्रावधान संवेत हुए विधिवत विभाजन किये जाने का आदेश दिया जाता है। लक्ष्मणकार लक्ष्मीनंदर उदयपुरवादी उग्रमपक्ष कारण की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार करें तथा भय नवशा के दो प्रतियों में न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करें। डिप्टी पचां जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 2-5-18 को कॅम्प कोर्ट गारास में खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी